

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3728]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 19, 2018/भाद्र 28, 1940

No. 3728]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 19, 2018/BHADRA 28, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2018

का.आ. 4895(अ)— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में कार्य प्रत्येक राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट राज्य सरकार द्वारा इस शर्त के अध्यधीन पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), दिनांकित 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्निलिखित और संशोधन करती है, नामत:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 19 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, नामत:—

(1)	(2)	(3)
19	रारा सं. 23, [किमी 8.500 से किमी 15.750 (चांदीखोल – दुबरी – तालचर खंड) और	ओडिशा राज्य
	किमी 211.200 से किमी 336.815 (बीरमित्रापुर – बारकोटे खंड) तक खंड को	सरकार
	छोड़कर], रारा सं. 43, रारा सं. 75, सं. 200 [किमी 0.00 से किमी 68.00 (कनकटोरा -	
	झरसूगुडा खंड) और किमी 301.890 से किमी 428.030 (चांदीखोल – दुबरी – तालचर	
	खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 201, सं. 203 [किमी 0.000 से किमी 59.000	

5531 GI/2018 (1)

(भुबनेश्वर - पुरी) तक खंड को छोड़कर], सं. 203ए, रारा सं. 215 [िकमी 0.000 से किमी 269.000 (पानीखोली रिमूली – रॉक्सी – राजामुंडा) तक खंड को छोड़कर], सं. 217, सं. 224, नई रारा सं. 20, नई रारा सं. 55, नई रारा सं. 130सी, नई रारा सं. 153बी, नई रारा सं. 157, नई रारा सं. 220, नई रारा सं. 326 और नई रारा सं. 326ए के उतने भाग जो ओडिशा राज्य में अवस्थित हैं।

[फा. सं. एनएच-14013/1/2016-पी एंड एम] राजेश गप्ता उप सचिव.

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. 1096 (अ), तारीख 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार का.आ.-4194-95(अ), तारीख 28 अगस्त, 2018 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th September, 2018

S.O. 4895(E).— In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely: —

In the said notification, in the Schedule, for serial number 19 the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:

TABLE

(1)	(2)	(3)
19	So much of National Highways No. 23 [excluding from km. 8.500 to km. 15.750 (Chandikhole-Dubari-Talchar section) and from Km. 211.200 to Km. 336.815 (Birmitrapur-Barkote Section)], No. 43, No. 75, No. 200 [excluding from km 0.00 to km 68.00 (Kanarktora-Jharshuguda Section) and from Km. 301.890 to Km. 428.030 (Chandikhole-Dubari-Talchar section)], No. 201, No. 203 [excluding from Km. 0.000 to Km. 59.000 (Bhubaneswar-Puri)], No. 203A, No. 215 [excluding from Km. 0.000 to Km. 269.000 (Panikholi Rimuli-Roxy-Rajamunda)], No. 217, No. 224, new NH No. 20, new NH No. 55, new NH No. 130C, new NH No. 153B, new NH No. 157, new NH No. 220, new NH No. 326 and new NH No. 326A as are situated within the State of Odisha.	State Government of Odisha

[F. No. NH-14013/1/2016-P&M] RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Note: The principal notification was published *vide* number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and was last amen vide number S.O. 4194-95(E), dated the 28th August, 2018.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2018

का.आ. 4896(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में तदनुरूपी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के कॉलम (2) में यथानिर्दिष्ट खंड के अनुसार निम्नलिखित सारणी के कॉलम (3) में यथा-विनिर्दिष्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, नामतः—

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग खंड	खंड किमी में
(1)	(2)	(3)
"200	कनकटोरा - झरसूगुडा खंड (ओडिशा राज्य में)	किमी 00.00 से किमी 68.00

[फा.सं. एनएच-14013/1/2016-पी एंड एम] राजेश गुप्ता, उप सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th September, 2018

S.O. 4896(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch of national highways, as specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in column (2) of the National Highway as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely:-

TABLE

National Highway No.	Section of National Highway	Stretch in Kilometers
(1)	(2)	(3)
200	(Kanaktora-Jharsuguda Section) (In the State of Odhisa)	Km 00.00 to Km 68.000

[F. No. NH-14013/ 1 /2016-P&M] RAJESH GUPTA, Dy. Secy.